पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.02.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री कृष्णनन्दन पासवान, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री शिवजी राय, स०वि०स० श्री सत्यदेव सिंह, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०	"पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया अंचल के अंचलाधिकारी, श्री विजय कुमार के भ्रष्ट आचरण के विरूद्ध आम जनता द्वारा लगाये गए गंभीर आरोपों को जॉचोपरान्त सत्य पाकर जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रपत्र "क" गठित किया गया । प्रपत्र "क" में गठित आरोप के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर साक्ष्यों के आलोक में तथ्यों की जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गई । अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-425 दिनांक-26.09.12 में स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए सभी आरोपों को सत्य पाया । जिलाधिकारी, मोतिहारी ने अपने पत्रांक-306, दिनांक-06.11.12 द्वारा प्रपत्र "क" एवं अनुमंडलाधिकारी से प्राप्त मंतव्य को संलग्न करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए जिला से अन्यत्र स्थानांतरण करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है । परन्तु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिससे अंचलाधिकारी द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है । सरकारी कार्य प्रभावित है एवं लोगों में क्षोभ व्याप्त है । अत: अंचलाधिकारी, तुरकौलिया के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

1	2	3	4
2.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स० श्री अनिरूद्ध कुमार, स०वि०स० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स०	''वर्ष-2010 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सात विषयों में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित करती थी, जिसमें सातवां विषय ऐच्छिक था । इसके अंतर्गत उच्च गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मैथिली, फारसी आदि विषय थे, जिसे वर्ष 2011 से समाप्त कर दिया गया । छात्रों एवं शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश के मद्देनजर सरकार को वर्ष 2013 की परीक्षा से पुनः पूर्व प्रणाली लागू करनी पड़ी । दिनांक-28.11.2011 को विज्ञप्ति सं०-54/2011 द्वारा घोषणा की गयी कि वर्ष 2013 से माध्यमिक परीक्षा सात विषयों में आयोजित की जायगी, लेकिन इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को पत्र नहीं भेजा गया, जिसके कारण न तो सातवें विषय की वर्ग सूची तैयार की गयी और न ही पढ़ाई शुरू की गयी । माननीय नेता विरोधी दल के पत्रांक-415, दिनांक-19.06.2012 एवं पत्रांक-697, दिनांक-28.09.2012 द्वारा सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ध्यानाकृष्ट करने पर समिति द्वारा काफी विलम्ब से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया, तब तक वर्ष 2013 की परीक्षा का फार्म भरा जा चुका था । इस प्रकार वर्ष 2013 में भी प्रदेश के छात्र सातवें विषय की परीक्षा देने से वंचित रह गये । अतः उक्त विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/13- 133 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/13- 133 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।